1271 21/1/20

RCMS
2019/00270

फद अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 115 सन् 2019

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>22.11.2019</td><td>
यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी प्रकाश पुत्र रतनलाल जाति ढोली निवासी न्यामा ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।
प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम न्यामा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी में नया खाता खंख्या 414 पुराना खाता संख्या 376 में प्राथी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में रतना पुत्र भीवा जाति ढोली निवासी न्यामा दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी के पिता का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम रतनलाल पुत्र मोबाराम जाति ढोली निवासी न्यामा है। प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र मोबाराम किया जाने के आदेश फरमावे।
वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2076–79 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी में प्रार्थी के पिता का नाम रतना पुत्र भीवा जाति ढोली निवासी न्यामा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम रतनलाल पुत्र मोबाराम जाति ढोली निवासी न्यामा है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी में नया खाता संख्या 414 पुराना खाता संख्या 376 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>न्यामा</td><td>414/376</td><td>रतना पुत्र भीवा जाति ढोली निवासी न्यामा</td><td>रतनलाल पुत्र मोबाराम जाति ढोली निवासी न्यामा</td></tr>
</table>
राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ व शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुलियासर को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 . को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ
</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.13 16:34:58 IST
Reason: SelfAttested